बअदालतः—सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मीनू वर्मा आर.ए.एस
प्रार्थनापत्र बाबत एल0आर0एक्ट0 136
प्रकरण संख्या—835/2018

संजय कुमार पुत्र इन्द्राज सिह जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
प्रार्थी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
अप्रार्थी

उपस्थिति—श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता प्रार्थी
स्टेट जरिये पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :—19.08.2019

प्रार्थी संजय कुमार ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थनापत्र बाबत् दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि मुझ प्रार्थी के नाम से वाकें चकनं0 12 एफटीपी बी प0न0 185/247 मु0 14 किलानं0 24/.139, 24/1/.089, 24/3/.025, 25/1/.089, 25/2/.164 कुल .506 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज भूमि में से प0न0 185/247 मु0 14 किलानं0 24 में .139 है0 गै0मु0 आबादी 24/3 में .025 है0 गै0मु0 कुआं (सिचाई), 25/1/ में .089 है0 गै0मु0 ढाणी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि वर्णित किलों में कभी भी गै0मु0 आबादी गै0मु0 कुआं (सिचाई) गै0मु0 ढाणी नही रही है। परन्तु भू—प्रबन्ध विभाग ने किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विधि विरूद्व व गैर कानूनी तरीके से दफा में दर्ज भूमि को गै0मु0 दर्ज कर दी है। जबकि भू—प्रबन्ध विभाग को ऐसी प्रविष्टी करने की कोई विधिक अधिकारिता नही थी। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा इसप्रकार की गई ऐसी प्रविष्टी कतई गलत व विधि विरूद्व है, जो काबिल दुरूस्ती के है। प्रमाणित प्रतिलिपी नकल जमाबन्दी चक 12 एफटीपी बी भू—प्रबन्ध विभाग सम्वत 2033—42 व नकल जमाबन्दी चक 14 एफटीपी सम्वत 2028 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त अंकन से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त अंकन की दुरूस्ती करवाकर उसके स्थान पर नहरी दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई मर्तबा कहा कि वह प्रार्थनापत्र में अंकित प्रार्थी की भूमि में अंकित गै0मु0 ढाणी, कुआं व गै0मु0 आबादी की दुरूस्ती कर नहरी अंकित करवा देवें तो वह कतई इन्कार हो गये।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्टेट द्वारा अपना जबाव प्रस्तुत किया गया व अंकित किया कि मामला दुरूस्ती का है राजस्व रिकार्ड में अगर दुरूस्ती की जाती है तो जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति पेश नही की है जिससे राज्यहित प्रभावित नही होते है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि है। प्रार्थी की कृषि भूमि नहरी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 आबादी, गै0मु0 ढाणी व गै0मु0 कुआं दर्ज है, जिसको दुरूस्त कर नहरी अंकन किया जावे।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। प्रार्थी की भूमि में गै0मु0 आबादी, गै0मु0 कुआं, गै0मु0 ढाणी दर्ज है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाकर नहरी दर्ज करवाने की शुद्धि करवाना चाहता है, जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा अपने पहचान के दस्तावेज आई.डी., जमाबन्दी आदि प्रस्तुत किये है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजात के उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है वाकें चक नं0 12 एफटीपी बी के प0न0 185/247 मु0 14 किलानं0 24/.139 है0 गै0मु0 आबादी 24/3/.025 है0 गै0मु0 कुआं (सिचाई), 25/1/.089 गै0मु0 ढाणी को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक......19.08.2014.........को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।